14

LOP 02 Brochure

TERMS AND CONDITIONS FOR ALLOTMENT OF RESIDENTIAL PLOT SCHEME

IN

GREATER NOIDA

TERMS & CONDITIONS FOR ALLOTMENT OF RESIDENTIAL PLOTS IN DEVELOPED SECTORS OF GREATER NOIDA

SCHEME DETAILS

Scheme Name: Residential Plot Scheme

Scheme Code: LOP-02/2016

IMPORTANT DATES

Scheme opens on 01.01.2016

Scheme closes on 02.02.2016

BID SUBMISSION / OPENING

on 02.02.2016

Scheme Detail:

SL. No.	No. of Plots	Size of Plots In Sq. Mt	Reserve Price per sq. mt (in Rs.)	Earnest Money/ Registration Money (in Rs.)
1.	03	40	23,100/-	93,000/-
2.	31	60	23,100/-	1,39,000/-
3.	67	120	23,100/-	2,78,000/-
4.	01	150	23,100/-	3,47,000/-
5.	20	200	23,100/-	4,62,000/-
6.	01	275	23,100/-	6,36,000/-
7.	13	300	23,100/-	6,93,000/-
8.	13	350	23,100/-	8,09,000/-
9.	36	500	23,100/-	11,55,000/-
10.	01	764	23,100/-	17,65,000/-

E LIST OF AVAILABLE PLOTS IN THE DIFFERENT SECTORS OF THE RESIDENTIAL SCHEMES L O [illegible] 02.16 ARE AS FOLLOWS

No	Sector Name	Block Name	Plot No	Size (Sq. Mtr.)
	Alpha-02	G	595	150
	Alpha-02	H	574	200
	Alpha-01	B	64	350
	Sector-3	A	98	120
	Sector-3	A	97	120
	Sector-3	A	46	120
	Sector-3	A	47	120
	Sector-3	A	48	120
	Sector-3	A	49	120
	Sector-3	A	50	120
	Sector-3	A	51	120
	Sector-3	A	52	120
	Sector-3	A	23	120
	Sector-3	A	22	120
	Sector-3	A	21	120
	Sector-3	A	20	120
	Sector-3	A	19	120
	Sector-3	A	18	120
	Sector-3	A	7	120
	Sector-3	A	8	120
	Sector-3	A	9	120
	Sector-3	A	10	120
	Sector-3	A	11	120
	Sector-3	A	169	120
	Sector-3	A	170	120
	Sector-3	A	171	120
	Sector-3	A	172	120
	Sector-3	A	173	120
	Sector-3	A	174	120
	Sector-3	A	175	120
	Sector-3	A	176	120
	Sector-3	A	177	120
	Sector-3	A	178	120
	Sector-3	A	187	120
	Sector-3	A	188	120
	Sector-3	A	189	120
	Sector-3	A	190	120
	Sector-3	A	191	120
	Sector-3	A	192	120
	Sector-3	A	193	120
	Sector-3	A	194	120

S. No.	Sector Name	Block Name	Plot No.	Size (Sq. Mtr.)
42	Sector-3	A	195	120
43	Sector-3	A	196	120
44	Sector-3	A	419A	120
45	Sector-3	A	419B	120
46	Sector-3	A	419C	120
47	Sector-3	A	419D	120
48	Sector-3	A	394A	120
49	Sector-3	A	394B	120
50	Sector-3	A	394C	120
51	Sector-3	A	394D	120
52	Sector-3	A	335A	120
53	Sector-3	A	335B	120
54	Sector-3	A	335C	120
55	Sector-3	A	310A	120
56	Sector-3	A	310B	120
57	Sector-3	A	310C	120
58	Sector-3	A	441A	120
59	Sector-3	A	441B	120
60	Sector-3	A	441C	120
61	Sector-3	A	441D	120
62	Sector-3	A	438A	120
63	Sector-3	A	438B	120
64	Sector-3	A	438C	120
65	Sector-3	A	438D	120
66	PHI-01	B	13	60
67	PHI-01	B	221	60
68	PHI-01	C	32	120
69	PHI-01	C	514	120
70	PHI-01	D	169	200
71	Beta-1	E	312	60
72	Beta-1	E	333	60
73	Beta-2	F	50A	40
74	Beta-2	F	223	200
75	Beta-2	F	243	200
76	Beta-01	D	82	40
77	Beta-01	E	202	60
78	Beta-01	E	397	60
79	Beta-01	E	405	60
80	Beta-2	F	231	200
81	Beta-2	G	238	350
82	Beta-02	I	545	120
83	Gamma-2	G	248	60

No.	Sector Name	Block Name	Plot No.	Size (Sq. Mtr.)
	Gamma-2	[illegible]	316	60
	Gamma-2	G	518	60
	Gamma-2	G	629	60
	Gamma-2	G	672	60
	Gamma-2	G	725	60
	Delta-01	A	30	60
	Delta-01	A	31	60
	Delta-01	A	119	60
	Delta-01	A	241	120
	Delta-01	C	224	60
	Delta-01	D	120	60
	Delta-01	D	235	60
	Delta-01	D	275	60
	Delta-01	F	76	60
	Delta-01	F	414	60
	Delta-01	A	49	60
	Delta-02	G	23	120
	Delta-02	J	29	200
	PI-01	G	19	500
	Delta-02	J	08	200
	Delta-02	J	63	200
	Delta-02	O	14	350
	Delta-02	O	15	350
	Delta-02	O	234	350
	PI-01	G	113	300
	PI-01	G	135	300
	PI-01	G	07	500
	PI-01	G	08	500
	PI-01	G	26	500
	PI-01	G	40	500
	PI-01	G	52	500
	Gamma-01	E	29	60
	LOP Chi-03	A	81	764
	LOP Chi-03	E	01	500
	LOP Chi-03	E	02	500
	LOP Chi-03	E	03	500
	LOP Chi-03	E	04	500
	LOP Chi-03	E	05	500
	LOP Chi-03	E	06	500
	LOP Chi-03	E	07	500
	LOP Chi-03	E	08	500
	LOP Chi-03	E	09	500

S. No.	Sector Name	Block Name	Plot No.	Size (Sq. Mtr.)
126	LOP Chi-03	E	10	500
127	LOP Chi-03	E	11	500
128	LOP Chi-03	E	12	500
129	LOP Chi-03	E	13	500
130	LOP Chi-03	E	14	500
131	LOP Chi-03	E	15	500
132	LOP Chi-4	D	9N	500
133	LOP Chi-4	D	9O	500
134	LOP Chi-4	D	9P	500
135	Eta-01	C	290	300
136	Eta-01	C	291	300
137	Eta-01	C	292	300
138	Eta-01	C	293	300
139	Eta-01	C	294	300
140	Eta-01	C	295	300
141	Eta-01	C	296	300
142	Eta-01	C	297	300
143	Eta-01	E	393	200
144	Eta-01	E	394	200
145	Eta-01	E	395	200
146	Eta-01	E	396	200
147	Eta-01	E	397	200
148	Phi-03	D	95	350
149	Phi-03	D	96	350
150	Phi-03	D	97	350
151	Phi-03	D	98	350
152	Phi-03	D	99	350
153	Sigma-01	B	100	300
154	Sigma-02	C	98	500
155	Sigma-02	C	118	500
156	Sigma-02	C	123	500
157	Sigma-02	C	124	500
158	Sigma-02	C	13	300
159	Sigma-1BS	A	26	500
160	Sigma-1BS	A	34	500
161	Sigma-1BS	A	53	500
162	Sigma-1BS	A	66	500
163	Sigma-1BS	A	55	500
164	Sigma-1BS	A	141	500
165	Sigma-02	B	81	300
166	Sigma-01	A	49	500
167	Sigma-01	A	143	500

S.N	Sector Name	Block Name	Plot No.	Size (Sq. Mtr.)
68	TAU (Swarn Nagri)	D	249	200
69	Delta-01	A	45	60
70	Delta-01	A	108	60
71	Delta-01	A	119	60
72	Delta-02	J	08	200
73	Delta-02	J	63	200
74	Delta-02	J	46	200
75	Delta-02	J	35	200
76	Delta-02	J	48	200
77	Delta-02	J	65	200
78	Delta-03	O	07	350
79	Delta-03	O	10	350
80	Delta-03	O	16	350
81	Gamma-01	E	236	60
82	Gamma-01	E	207	60
83	Gamma-01	F	03	275
84	Alpha-02	G	325	40
85	Gamma-01	E	169	60
86	Gamma-01	E	34	60

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
के विकसित सैक्टरों में आवासीय भूखण्डों का निविदा के माध्यम से आवंटन हेतु नियम एवं श

Terms and conditions for the allotment of residential plots in developed sectors
Greater Noida Industrial Development Authority

1. पात्रता

(i) आवेदक भारतीय नागरिक हो तथा अनुबंध के लिए सक्षम हो तथा उसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो।

(ii) इस श्रेणी में आवेदक तथा उसके पति/पत्नी के नाम, अथवा आश्रित बच्चो के नाम में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कोई भी आवासीय भूखण्ड अथवा रिहायशी फ्लैट पट्टाधिकार पर अथवा फ्री-होल्ड आधार पर अथवा एच.पी.टी.ए. ,हायर पर्चेज टेनेंसी एग्रीमेंटद्ध लाइसेंस के तहत ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित किसी पूर्व योजना में आवंटित न किया गया हो।

(iii) पात्र आवेदक पति/पत्नी अथवा उनके आश्रित केवल एक भूखण्ड हेतु आवेदन कर सकते है।

2. पंजीकरण :

किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी को निविदा में भाग लेने की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह तालिकानुसार निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर, जो कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय एवं ग्रेटर नोएडा में भुगतान योग्य हो, निविदा की दिनांक 02.02.2015 को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक पूर्ण रुप से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र के साथ निविदा स्थल पर स्थित निविदा बाक्स में जमा कराना होगा। आवेदन-पत्र एवं विवरण पुस्तिका ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.greaternoidaauthority.in से डाउनलोड किये जा सकते है किन्तु डाउनलोड किया गया आवेदन-पत्र ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में रू. 1100.00 का डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करने पर ही वैध/मान्य होगा।
आवेदन पत्र रु0 1100.00 के भुगतान पर किसी भी कार्यदिवस में दिनाँक 12.01.2016 से 01.02.2016 तक निम्नलिखित स्थानों/काउन्टर्स से प्राप्त किये जा सकते है:-

(i) बैंक ऑफ बड़ौदा, सैक्टर-गामा-2, कामर्शियल कॉम्पलैक्स, ग्रेटर नोएडा।
(ii) एच0डी0एफ0सी0 बैंक, सैक्टर-अल्फा-1, कामर्शियल बैल्ट, ग्रेटर नोएडा।
(iii) एच0डी0एफ0सी0 बैंक, सैक्टर-18, नोएडा।
(iv) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, सैक्टर-62, नोएडा।
(v) इण्डियन बैंक, गामा शॉपिग काम्पलैक्स, जगत फार्म, ग्रेटर नोएडा।
(vi) आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, सैक्टर-अल्फा-1, कामर्शियल बैल्ट, ग्रेटर नोएडा।

1. **Eligibility**

(i) Applicant should be Indian citizen or competent contract and have attained the age of majority.

(ii) He/She should not earlier been allotted ar residential plot or flat, in full or part, on lease hold free hold basis or under HPTA (Hire Purchas Tenancy Agreement), Licensee agreement b Greater Noida Industrial Development Authorit either in his/her name or his/her spouse name or in th name of his/her minor or dependent children, unde the category.

(iii) Eligible applicant, his/her spouse or his/he dependent children can apply for one plot only.

2. **Registration:**

Any person/ firm/ institution/ company will be allowe to participate in the tender/ bid only if he deposits th bank draft/pay order of the earnest money as per th given table, in the favour of GRETER NOID INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORIT payable at Greater Noida on 02.02.16 between 10 a to 1 pm alongwith completely filled and duly signe application form in the tender/ bid box situated at th tender depositing place. Application form an brochure can be downloaded from the website Greater Noida Industrial Development Authorit www.greaternoidaauthority.in but the downloade tender/ bid will be valid/ accepted after attaching th demand draft of Rs 1100.00 alongwith the applicatio form, drawn in the favour of Greater Noida Industri Development Authority.
Application form is available on the followin places/centers in any working days from the dat 12.01.16 to 01.02.2016 and you can purchase it b paying Rs. 1100.00.

(i) Bank of Baroda, Sector-Gamma-2, Commercial Complex, Greater Noida.
(ii) HDFC Bank, Sector-Alpha-1, Commercial Belt, Greater Noida.
(iii) HDFC Bank, Sector-18, Noida.
(iv) Union Bank of India, Sector 62, Noida.
(v) Indian Bank, Gamma Shoping Complex, Jagat Farm Greater Noida.
(vi) ICICI Bank, Sector-Alpha-1, Commercial Belt, Greater Noida.

निविदा प्रक्रिया :

निविदादाता को विवरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन–पत्र को पूर्ण रूप से भरकर फोटो आदि स्वप्रमाणित करते हुए निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक के साथ निविदा की दिनांक को प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक निविदा स्थल पर सील्ड निविदा, निविदा बाक्स में जमा कराना होगा।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी / निविदा अधिकारी सभी भूखण्डों अथवा किसी भी एक भूखण्ड की निविदा जनहित / प्राधिकरण हित में स्थगित कर सकते हैं।

भूखण्ड की निविदा आरक्षित दर से अधिक से आरम्भ की जायेगी। दो निविदा दाताओं के बीच न्यूनतम अन्तर को निविदा के समय सूचित किया जायेगा।

भूखण्डों का आबंटन लीजहोल्ड आधार पर किया जायेगा। निविदा में जो सर्वोच्च दरें प्राप्त होगीं उस मूल्य पर 10 प्रतिशत लीज रेन्ट पृथक से देय होगा।

दो उच्चत्म बिड समान होने की स्थिति में बोली के आधार पर बिड प्रकिया पूर्ण की जायेगी।

अवस्थित अधिभार

(i)	कोने पर स्थित भूखण्ड	भूखण्ड के प्रीमियम का 5 प्रतिशत
(ii)	पार्क / ग्रीन बैल्ट के सम्मुख स्थित भूखण्ड	भूखण्ड के प्रीमियम का 5 प्रतिशत
(iii)	18 / 24 मी0 चौडी सडक पर स्थित भूखण्ड	भूखण्ड के प्रीमियम का 5 प्रतिशत

जिस निविदादाता द्वारा भूखण्ड की निविदा दी जायेगी, उसे अपनी निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।

कुल बिड मूल्य की 50 प्रतिशत धनराशि (धरोहर धनराशि के समायोजन के बाद) आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर जमा कराना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि आगामी 90 दिन में जमा करानी होगी। उपरोक्तानुसार धनराशि जमा कराने में असफल होने पर धरोहर राशि जब्त करते हुए भूखण्ड की निविदा निरस्त कर दी जायेगी। निविदा अधिकारी प्राप्त उच्चतम बिड को समिति के माध्यम से भूखण्ड की बिड स्वीकृत / अस्वीकृत किये जाने हेतु अपनी संस्तुति मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

आवेदक / निविदादाता हस्ताक्षरित निविदा / निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा के पक्ष में देय तथा पासपोर्ट आकार के सत्यापित फोटो के साथ लिफाफे को सील करके प्राधिकरण सभागार में रखी गयी सील बन्द निविदा–पेटी में बिड की निर्धारित तिथि को पूर्वान्ह 12.00 बजे तक ही डाला जा सकेगा।

निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक जो ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा के पक्ष में देय हो निविदा फॉर्म के साथ सीलबन्द लिफाफे के ऊपर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। किसी भी दशा में चेक स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

सील्ड बिड के लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में योजना का नाम, आवेदित भूखण्ड संख्या एवं आवेदक का नाम व पता अंकित

3. Process of tender

(i) The tenderer will have to fill the application form attached within the brochure completely with self attested photograph and have to submit the sealed tender in the tender/ bid box on the given date between 10 am to 12 pm alongwith the bank draft/bankers cheque of required earnest money.

(ii) Chief executive officer/ tender official can suspend the tender/ bid of all plots or any plot in public interest/ authority interest.

(iii) The tender/ bid for the plot will be started above the reserve price. The minimum gap between two tenderer will be notified at the time of tender.

(iv) The allocation of the plots will be done on the lease hold basis. 10 percent lease rent will be paid separately on the highest rates in the tender that they would value.

(v) If the two highest price bid is equal then open bid system will be applicable.

(vi) Location Surcharge

(i)	Plot located on the corner	5 percent of the premium of plot
(ii)	Plot situated in front of park/green belt	5 percent of the premium of plot
(iii)	Plot situated on the 18x24 mtr wide road	5 percent of the premium of plot

(vii) The tenderer who will apply for the tender/ bid once would not have any right to withdraw the tender.

(viii) 50% of total amount of price bid (after adjustment of deposit amount) will be deposit within the 90 days of the issuance of allotment letters and rest of the 50 % amount will be deposit in next 90 days. In case of falling to deposit money the earnest money would be seized and tender of the plot shall be cancelled. The tender officer would have to present the received highest bid through the committee to chief executive officer, Greater Noida industrial Development Authority for their recommendation for approval/ disapproval of bid of plot.

(ix) Applicant/ tenderer will submit the signed tender/ tender application in the sealed envelope in the tender box kept in boardroom of the authority, on the scheduled date before 12.00 pm alongwith the fixed earnest money in the form of bank draft in the favour of Greater Noida Industrial Development Authority, payable at Greater Noida and passport size attested photograph.

(x) The bank draft/bankers cheque of the earnest money which will be drawn in the favour of Greater Noida industrial Development Authority, payable at Greater Noida is to be attached with the tender form in the sealed envelope. In any case cheque won't be accepted.

(xi) It will be mandatory to mention the name of plot number and name of applicant and address in block

[illegible]

(xii) यदि कोई निविदा [illegible] धरोहर राशि [illegible] सत्यापित फोटो हस्ताक्षर अथवा वांछित प्रपत्र के बिना होगी तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये एक या सभी निविदाओं जिसमें उच्चतम निविदा सम्मिलित होगी, को अस्वीकार कर सकते हैं।

(xiii) यदि आवेदक की निविदा निरस्त अथवा अस्वीकार होती है तो धरोहर राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।

(xiv) योजना के अन्तर्गत किसी वर्ग अथवा व्यक्ति विशेष को आवंटन में कोई वरीयता नहीं दी जायेगी।

(xv) निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि निविदा नियत दिनाँक तथा समय तक निविदा बाक्स में डाल दी गयी है। डाक द्वारा भेजी गयी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

(xvi) परिसम्पत्ति का आरक्षित मूल्य प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। आरक्षित दर अथवा उससे अधिक मूल्य अंकित करने पर ही आवेदक आवंटन के लिए अर्ह माना जायेगा।

(xvii) आवेदक को निविदा दर अंकों तथा शब्दों में लिखना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त किया जा सकता है। अंकों तथा शब्दों में निविदा दर भिन्न होने की स्थिति में शब्दों में लिखी गयी निविदा दर मान्य होगी।

xviii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को निविदा समिति की संस्तुतियों को मानने या न मानने एवं किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा न करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्णय पर किसी भी निविदादाता द्वारा आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

:ix) तालिका में अंकित भूखण्डों का क्षेत्रफल अनुमानित है, जिसे निविदादाता द्वारा स्वीकार किया जायेगा, उसे आवंटित भूखण्ड के क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत तक की भिन्नता को स्वीकार करना होगा। इसी के अनुसार आवंटी को भूखण्ड के मूल्य का भुगतान करना होगा।

<) आवंटी द्वारा भूखण्ड को बन्धक रखकर ऋण प्राप्त किये जाने में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु आवंटी को भूखण्ड/भवन को बन्धक रखने हेतु ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होगी। बन्धक रखने की प्रक्रिया में हुए व्यय को आवंटी द्वारा वहन करना होगा।

i) आवेदनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि निविदा में भाग लेने से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण एवं निविदा से सम्बन्धित किसी भी प्रकिया की जानकारी निविदा शुरू होने से पूर्व अवश्य कर लें। निविदा के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा की सम्पत्ति का कोई अतिरिक्त सुधार/विकास करने का उत्तरदायित्व ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का नहीं होगा। सम्पत्ति "जहाँ है–जैसा है" के आधार पर निविदा की जायेगी।

आवंटन प्रकिया :

आवंटन निविदा में प्राप्त सर्वोच्च दर पर किया जायेगा। निविदा पेटी में प्राप्त सील्ड निविदा की दर जो भी उच्च होगी, उसी की स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।

निविदा समाप्त होने के उपरान्त सर्वोच्च निविदा की धरोहर राशि

[illegible] otherwise [illegible] bid won't be accepted.

(xii) Any incomplete tender/ bid as without bank draft earnest money, self attested passport size photo with signature and required document will not be considered. Chief executive officer of the authority will have the full right to cancel any or all the tenders in which highest tender bid will be included, without assigning any reason.

(xiii) If the tender/bid is cancelled or rejected then the earnest money will be refunded to the applicant without any interest.

(xiv) Under the scheme, any group or individual shall not be given preference in the allocation.

(xv) Tenderer must ensure that the tender/ bid has been put in the tender/ bid box on the scheduled date and time. Tender/ bid sent by post will not be accepted.

(xvi) The reserve price of the assets is fixed on per sqm. The applicant would be eligible for allocation only if he quotes the reserved rate and rates above than that.

(xvii) It will be mandatory for the applicant to write the tender/ bid rate in numbers and words otherwise tender could be canceled. If there will be any difference in tender rate written in numbers and words then the tender rate written in words would be valid.

(xviii) Chief Executive Officer, Greater Noida Industrial Development Authority have the full right to accept or not to accept the recommendations of the tender/ bid committee and to accept or not to accept any tender/ bid and the decision of chief executive office will be final and binding. Chief Executive Officer's decision can't be objected to any tenderer.

(xix) The plots marked in the table are estimated, which will be accepted by the tenderer, he will have to accept the difference of 10 percent than that in the allotted plot. The allottees will have to pay the rate of the plot accordingly.

(xx) Greater Noida Industrial Development Authority won't mind if the allottee obtains loan by mortgaging the plot. But the allotee must obtain the permission form greater Noida development authority for mortgaging the plot/house. The expenditure of keeping in mortgage to be borne by the allottee.

(xxi) Applicants are advised to inspect the property prior to participating in the bid and any of the information related to the bid process, make sure before the start of the bid. After the bid submitted, any objection will not be considered. Greater Noida development authority will not be responsible for additional improvement/ development of property. Property will be allotted on "as on where as" basis.

4. Allotment process

(I) Allotment will be made on the highest value received in the tender/ bid. The rates that will be received in the sealed tender/ bid of tender box whichever is higher will be accepted for consideration.

(ii) After the completion of bid process the amount of

को [illegible]
तक [illegible]
निविदा
समायोजि
सफल
किया जा
आवंटन
निविदाद
धनराशि
समयवृद्धि

भुगतान
उच्चतम
अधिकारी
स्वीकार
धनराशि
जारी हो
शेष 50
उपरोक्त
बैंक में ज
आयकर
सम्पत्ति
धनराशि
खाता स
उपलब्ध
आवासीय
जायेगा।

पट्टा प्र
कुल बि
समायोज
के अन्द
आगामी
अन्तिम
विलेख/
निष्पादि
उक्त स
विकास प्र
नियम ए
आवंटी
विलेख/
भूखण्ड
प्राधिकरण
जायेगा।
भूखण्ड
विकय वि
में नहीं वि
आवंटी
भूखण्ड व
आवंटी व
होने वाले

[illegible] आवेदकों को [illegible] ड्राफ्ट [illegible] बिना ब्याज के [illegible] किये जायेंगे। [illegible] निविदा [illegible] राशि भूखण्ड/सम्पत्ति के मूल्य में समायोजित कर ली जायेगी।

सफल आवेदक को आवंटन-पत्र पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

आवंटन पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल निविदादाता/आवंटी द्वारा उच्चतम स्वीकृत मूल्य की समस्त धनराशि जमा करायी जायेगी। उक्त राशि के भुगतान हेतु कोई समयवृद्धि नहीं दी जायेगी (चेक स्वीकार्य नहीं होंगे)।

भुगतान की प्रक्रिया एवं कब्जा:

उच्चतम निविदादाता, जिसकी निविदा मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर ली गयी हो, को कुल बिड मूल्य की 50 प्रतिशत धनराशि (धरोहर धनराशि के समायोजन के बाद) आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर जमा कराना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि आगामी 90 दिन मे जमा करानी होगी।

उपरोक्त अनुसार धनराशि आवंटन पत्र में उल्लिखित किसी भी बैंक में जमा करायी जानी आवश्यक होगी।

आयकर विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार यदि आवंटित सम्पत्ति का मूल्य रू 50.00 लाख से अधिक है तो आवंटी को देय धनराशि का 1 प्रतिशत टीडीएस कटौती कर प्राधिकरण के स्थायी खाता संख्या (PAN) AAALG0129L में जमा कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।

आवासीय भूखण्डों का आवंटन लीज होल्ड आधार पर किया जायेगा।

पट्टा प्रलेख की शर्तें :

कुल बिड मूल्य की 50 प्रतिशत धनराशि (धरोहर धनराशि के समायोजन के बाद) आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर जमा कराना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि आगामी 90 दिन में जमा करानी होगी। भूखण्ड/सम्पत्ति के अन्तिम भुगतान की तिथि से 03 माह के अन्दर विकय विलेख/पट्टा विलेख प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निष्पादित कराया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त सम्पत्ति उच्चतम निविदादाता को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के आवंटी के रूप में प्रदान की जायेगी जिसके नियम एवं शर्तें ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटी के पक्ष में निर्धारित प्रपत्र पर किये गये विकय विलेख/लीज डीड के आधार पर होंगी।

भूखण्ड पर भवन का निर्माण ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये मानचित्र के अनुसार किया जायेगा।

भूखण्ड एवं भूखण्ड पर निर्मित भवन का उपयोग मास्टर प्लान एवं विकय विलेख में निर्धारित उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा।

आवंटी को भूखण्ड को उप-विभाजित करने एवं अन्य किसी भूखण्ड के साथ आमेलित करने का अधिकार नहीं होगा।

आवंटी कब्जा-पत्र जारी होने की तिथि से समय-समय पर लागू होने वाले समस्त कर, जो सरकारी या किसी स्थानीय निकाय

[illegible] successful bidder will be refunded in the form of [illegible] draft/bankers cheque without interest except the earnest money of highest tender. Ernest money of the highest tender shall be adjusted in plot/property value.

(iii) The allotment letter to the successful bidder will be delivered by the registered post.

(iv) According to the guidelines in the allotment letter the tenderer/allotee will have to deposit the total amount of accepted rate. Any time extension will not be given to pay the said amount (cheque won't be accepted).

5. The payment process and possession:

(I) The highest tenderer, whose tender/ bid has been accepted by Chief Executive Officer, Greater Noida Industrial Development Authority, allottee have to deposit the allotment money in any mentioned bank according to the allotment letter.

(ii) According to the notification of income tax department if the value of allotted property will more than 50 lakh then the allottees shall have to get the certificate by depositing the money in the permanent account no of (PAN) AAALG0129L of the authority after 1% TDS deduction.

(iii) The allocation of residential plot will be on lease hold basis.

6. Terms of sale-deed

(i) 50% of total amount of price bid (after adjustment of deposit amount) will be deposit within the 90 days of the issuance of allotment letters and rest of the 50 % amount will be deposit in next 90 days. It will be essential to execute the lease deed on the prescribed format by the authority within the 3 months from the date of final payment of plot.

(ii) The aforesaid property shall be provided to the highest tenderer as an allottee.

(iii) The construction of building on the plot will be done according to the map sanctioned by the authority.

(iv) Plot and the building construction on the plot will be used as specified in the master plan and lease-deed and it won't be used in any other manner.

(v) Allottee won't have the right to subdivide the plot and absorbed with any other land.

(vi) Allottee will be responsible to pay the taxes revised from time to time which can be due to the inculcated rule, by-laws and by law passed by the government or

[illegible]

(viii) [illegible] प्रकार का [illegible] सूचना [illegible] ज्ञान की जानकारी होने पर या किसी भी नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं भूखण्ड तथा उस पर निर्मित भवन का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापिस ले लिया जायगा, जिसका कोई भी मुआवजा आवंटी को प्रदान नहीं किया जायेगा। इस प्रकार के प्रकरणों मे भूखण्ड के कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

(ix) भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जायेगा। यदि अनाधिकृत निर्माण पाया जाता है तो अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध विधिसम्मत नियम व सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण / सील आदि की कार्यवाही की जायेगी।

(x) निर्धारित विशिष्टियों / मानकों के अनुसार जल आपूर्ति, सीवर, ड्रेनेज एवं विद्युत आपूर्ति की लाईन भूखण्ड की सीमा तक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जायेगी। भूखण्ड पर आन्तरिक विकास कार्य आवंटी को स्वयं करना होगा।

(xi) भूखण्ड का आवंटन 'जहां है, जैसा है', के आधार पर होगा एवं आवंटी को भूखण्ड का कब्जा भी "जहाँ है–जैसा है" के आधार पर दिया जायेगा, जिस पर बाद में कोई भी आपत्ति मान्य नही होगी।

(xii) यदि किसी कारणवश प्राधिकरण भूखण्ड का कब्जा देने में सक्षम नही होता है तो आवंटी द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि नियमानुसार 4 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ वापस कर दी जायेगी।

(xiii) आवासीय भूखण्ड पर निर्माण हेतु अनुबन्ध पट्टा प्रलेख की तिथि से 03 वर्ष की अवधि प्रदान की जायेगी। आवंटी को निर्माण पूर्ण करने के उपरान्त आवेदन कर प्राधिकरण से भवन का कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र लिया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा नियमानुसार निर्माण हेतु विलम्ब शुल्क देय होगा। निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।

(xiv) बिजली एवं पानी इत्यादि कनेक्शन आवंटी को अपने खर्चे पर लेने होगें।

(xv) आबंटित सम्पत्ति पर भविष्य में कभी यदि सेवाकर की देयता बनती है तो सेवाकर की धनराशि आबंटी द्वारा अतिरिक्त देय होगी।

7. **स्टाम्प एवं अन्य शुल्क :**

भूखण्ड का रजिस्टर्ड अनुबन्ध विलेखा निषादित कराने में स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क एवं अन्य किसी शुल्क का भुगतान आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा। आवंटी द्वारा अचल सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने का शुल्क प्राधिकरण द्वारा निर्धारित / सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपित किया जायेगा, आवंटी को स्वयं भुगतान करना होगा।

8. **अन्य महत्वपूर्ण शर्तें :**

(I) निविदा, आवंटन, मानचित्र स्वीकृत, निर्माण आदि से सम्बन्धित किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर

[illegible] possession [illegible]

Authority has the [illegible] right to recove[illegible] amount payable against the plot a[illegible] recovering the fund the authority [illegible] recovery letter like the land revenue

(vii) The allocation of plot will be canceled [illegible] the building made on the plot will be [illegible] authority and no compensation will be [illegible] authority find any type of misinformation [illegible] fact after having the allotted plot or violati[illegible] and conditions. In such cases, 25 percen[illegible] value of land shall be forfeited.

(ix) No unauthorized construction will be ma[illegible] plot. If unauthorized construction will be f[illegible] demolition/seal etc. will be undertaken [illegible] unauthorized construction as per the curre[illegible] relevant section.

(x) Particulars set / standard Water supply, s[illegible] drainage and power supply line to the exte[illegible] will be provided by the Authority. The [illegible] development work will be done by plot allottee.

(xi) Plot will be allotted on "as on, where as "b[illegible] possession of the plot to the allotttee will also [illegible] on "as on, where as" basis, after which no o[illegible] will be valid.

(xii) If for any reason the authority is not able [illegible] possession of the plot then as per the rule [illegible] deposited by the allottee will be refunded [illegible] percent simple interest.

(xiii) For the construction of the residential plot 3 y[illegible] construction period will be given from the d[illegible] Lease deed. After completion of construction [illegible] allottee should have to take the completion certi[illegible] from the authority otherwise as per the rule h[illegible] have to pay the late construction penalty. [illegible] approval of the map will be mandatory fo[illegible] construction.

(xiv) Allottee shall take the electricity/water connecti[illegible] their expenses.

(xv) If any kind of service tax liability will be incurred [illegible] future on the allotted property then this addi[illegible] amount of service tax will be payable by the allott[illegible]

7 **Stamp and other tax**

In the execution of registered contract deed o[illegible] plot, the stamp duty, registration taxes and other [illegible] shall be borne by the allottee. Allottees shall ha[illegible] pay the charge of transferring the immo[illegible] property, other fees by themselves as charge[illegible] competent authority.

8. **Other important conditions:**

(i) The decision of chief executive officer, Greater [illegible] Development Authority will be final and bindi[illegible]

[illegible] होगा।

(ii) किसी [illegible] प्रकार का विवाद [illegible] की [illegible] में [illegible] जिला [illegible] गौतमबुद्ध नगर [illegible] को ही न्याय क्षेत्र का अधिकार प्राप्त होगा।

(iii) यदि आवंटी निर्धारित देय तिथि को भूखण्ड का कब्जा प्राप्त नहीं करता है तो निर्धारित देय तिथि से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर चौकीदारी शुल्क आवंटी द्वारा देय होगा।

9. समर्पण एवं निरस्तीकरण :

भूखण्ड / भवन का समर्पण / निरस्तीकरण नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के आधार पर किया जाता है तो निम्नानुसार कटौती की जायेगी :–

(i) यदि उच्चतम बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में कुल बिड मूल्य की समस्त धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) जमा नहीं करायी जाती है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

(ii) किसी भी प्रकार के समर्पण / निरस्तीकरण की स्थिति में भूखण्ड के कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि की कटौती करते हुए शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।

(iii) यदि आवंटी द्वारा अवशेष समस्त धनराशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं करायी जाती है तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए धारा–9(ii) के अनुसार कटौती कर ली जायेगी एवं निरस्तीकरण उपरान्त भूखण्ड को निविदा में प्रस्तावित कर दिया जायेगा।

(iv) सभी रिफण्ड बिना किसी ब्याज के वापस किये जायेंगे।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

[illegible]ase of any dispute rel[illegible] Tender allocation approval of the map and [illegible]

(ii) If any type of dispute onl[illegible] [illegible]autam Budh Nagar district court will have the right f[illegible] redressal.

(iii) If the allottee doesn't take possession of the plot/building on the sche[illegible]uled dat[illegible] then the allottee will have to pay the guar[illegible]ng fee from the scheduled date at the rate determined by the authority.

9. Surrender and cancellation:

Land / surrender of building / cancellation is made on the basis of violation of terms and conditions shall be cut so as follows: -

(i) If the highest bidder at the bid price doesn't deposit the money by the prescribed period (to accommodate earnest money), then all the deposited earnest money will be forfeited.

(ii) In case of any kind of surrender/cancelation of plot after deducting 25% amount form the total value of plot the remaining money will be returned without interest.

(iii) If the allootee doesn't pay the remaining total amount in the given period then the allocation of the plot will be cancelled and with abiding the section- 9(i) the deduction shall be made and after cancellation, the plot will be proposed in the tender.

(iv) All refunds will be returned without interest.

Chief Executive Officer
Greater Noida Industrial Development Authority,
Greater Noida, Gautam Budh Nagar.

Greater Noida Industrial Development Authority
169, Chitvan Estate, Sector Gamma II, Greater Noida
Gautam Budh Nagar
Uttar Pradesh

APPLICATION FORM FOR RESIDENTIAL PLOT SCHEME CODE NO. LOP 02/2016

(To be kept in sealed Envelope)

Tender Form No. **SAMPLE**

Date ....

To

The Chief Executive Officer
Greater Noida Industrial Development Authority
169, Chitvan Estate, Sector Gamma-II
Greater Noida - 201308
District – Gautam Budh Nagar (U.P)
Uttar Pradesh

Affix Passport size self attested photo

Subject: Details for the plot no ....of size...........sqm in Sector..................in Greater Noida under Scheme Code LOP 02/2016

Sir,

With Reference to the above subject, I / (We) / Mr. / Mrs ....

being individual or director/partner/proprietor of M/s..

....

Permanent Address ....

....

Phone No..

Fax No..

E-mail ....

Mobile No..

Correspondence Address ....

....

Phone No..

Fax No..

E-mail ....

Mobile No..

DD/ Pay Order No. .... Dated ....

Amount in words .... Amount ....

....

issued by ....

....

Detail of Bid:

Details for the plot no ....of size..................sqm in Sector...in Greater Noida under Scheme Code LOP 02/2016.

Rate offered per square meter (In Figure) Rs. ....

Rate offered per square meter (In Word) Rs. ....

....

....

I/(We) declare that I/(We) have gone through the terms, condition and guidelines as mentioned in the brochure and understood the same, I/(We) further unconditionally declare that the said terms, condition and guidelines are accepted and are binding on me/us.

Signature of the Bidder/ Applicant